

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्राथी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का 6 बीजीपी (बी) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 5 बीजीपी की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	शाम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्वत	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	5 बीजीपी	5 बीजीपी 68/58 2070-2073	1. अक्षयपुत्र सुरेन्द्र कुमा 10. रानी पुत्र सुरेन्द्र कुमा 12. शिल्पा पुत्र सुरेन्द्र कुमा	1. अक्षयविंद फ़ सुरेन्द्र कुमा 10. रानी देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमा 12. शिल्पा पुत्री सुरेन्द्र कुमा

नोट :- शेष प्रविष्टि / यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

(रमेश दैव)
5/6/23

उपखण्ड अधिकारी संगरिया (SDO)
दिनांक :- 5/6/23

क्रमांक :- सम/21)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी अक्षयविंद 5/0 सुरेन्द्र कुमा निं. दांवा संगरिया
3. आदेश पत्रावली।



(रमेश दैव)
उपखण्ड अधिकारी संगरिया (SDO)
शिथिल स्थल 5/6/23